

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 2065 / 2012 / अजमेर.

मैसर्स मंगलम मेटल्स, अहमदाबाद.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अजमेर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री ओ. पी. माहेश्वरी, अधिकृत प्रतिनिधि

.....व्यवहारी की ओर से.

श्री जमील जई, उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13 / 09 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 144 / RVAT / NRD / 11-12 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 08.08.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अजमेर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र दिनांक 10.01.2011 को अस्वीकार किये गये सम्बन्धी पारित किये गये आदेश दिनांक 30.06.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्थान राज्य के बाहर से अपीलार्थी व्यवहारी मैसर्स मंगलम् मेटल्स अहमदाबाद द्वारा राजकीय उपक्रम अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जिसे आगे 'AVVNL' कहा जायेगा) से वर्ष 2009-10 के द्वितीय एवं तृतीय तिमाही में अर्थात् 01.06.2009 से 31.12.2009 तक की अवधि में AVVNL के द्वारा कंडक्टर के स्क्रैप की ई-ऑक्शन में बोली प्राप्त कर माह सितम्बर, 2009 के तीन बिल एवं माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 2009 के 10 बिलों के जरिये माल खरीद किया गया, जिसमें AVVNL द्वारा ऑक्शन की शर्तों के अनुसार माल के विक्रय बिल बनाते हुए 4 प्रतिशत से केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) के तहत अधिनियम की धारा 8(2) के अनुसार 4 प्रतिशत से कर दर वसूल की गई। यह माल चूंकि राजस्थान से गुजरात के व्यवसायी के नाम से विक्रय किया जाना विक्रय बिलों में दर्शाया गया था, के अनुसार माल का



लगातार.....2

अन्तर्राज्जीय विक्रय होने से केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के अनुसार 'सी' फॉर्म अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में 2 प्रतिशत से करदेयता लागू होनी थी एवं 'सी' फॉर्म प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में विक्रेता द्वारा अधिनियम की धारा 8(2) के अनुसार 4 प्रतिशत से कर वसूल किया जा सकता था। इस प्रकरण में विक्रेता फर्म AVVNL द्वारा समस्त अन्तर्राज्जीय विक्रय पर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(2) के तहत 4 प्रतिशत से कर वसूल किया जाकर राजकोष में जमा करवाया गया एवं इस तरह AVVNL के क्षेत्राधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा कर निर्धारण करते हुए AVVNL की बिक्री पर 4 प्रतिशत से करारोपण किया गया था।

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से माल खरीद के एक वर्ष पश्चात् दिनांक 31.01.2011 को AVVNL के लेखाधिकारी को एक पत्र प्रस्तुत कर उनके द्वारा उक्त खरीद किये गये माल के विरुद्ध 'सी' फॉर्म पेश करते हुए उनसे वसूले गये 4 प्रतिशत की कर दर के स्थान पर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के अनुसार 2 प्रतिशत की कर देयता कर स्वीकार करते हुए 2 प्रतिशत से अधिक वसूल की गई राशि का रिफण्ड दिये जाने का अनुरोध किया गया था परन्तु AVVNL द्वारा वे 'सी' फॉर्म समयावधि पश्चात् पेश करने से स्वीकार नहीं किये गये। यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.01.2011 को ही उक्त अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को भी पत्र दिया गया कि वर्ष 2009-10 के AVVNL के द्वारा की गई बिक्री के सम्बन्ध में 2 'सी' फॉर्म क्रमशः नम्बर 7737576 व 3379968 एवं 'सी' फॉर्म नम्बर 8322741 व 8167478 को AVVNL नामक फर्म की कर निर्धारण पत्रावली में स्वयं के स्तर पर ही लिये जाकर AVVNL के कर निर्धारण आदेश में 4 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत कर लगाते हुए अधिक वसूले गये अन्तर कर 2 प्रतिशत की राशि कुल रूपये 2,26,421/- मय ब्याज रिफण्ड किया जावे, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त 'सी' फॉर्म जो AVVNL को दिये जाने थे, उन्हें विभाग द्वारा सीधे लेने से इन्कार किया क्योंकि वे 'सी' फॉर्म व्यवहारी द्वारा AVVNL को दिये जाने थे एवं AVVNL द्वारा ही अपनी बिक्रियों के सम्बन्ध में निर्णय किया जाना था कि वे 'सी' फॉर्म लिये जाने हैं अथवा नहीं। यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.01.2011 को वे ही 'सी' फॉर्म विक्रेता द्वारा AVVNL को भी प्रस्तुत किये गये थे परन्तु AVVNL द्वारा वे 'सी' फॉर्म लेने से इन्कार किया गया। इस प्रकार बिना किसी विधिक प्रावधान के प्रस्तुत रिफण्ड प्रार्थना-पत्र को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 30.06.2011 को निरस्त किया गया। व्यवसायी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की



लगातार.....3

गयी जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के पूर्ण तथ्यों का विवेचन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के निर्णय को विधिसम्मत घोषित कर अपील अस्वीकार की गई, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी व्यवसायी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि कर निर्धारण आदेश में व्यवहारी की 4 बिलों की अन्तर्राज्जीय खरीदों को राज्य की भीतर की खरीद माना जाना विधिविरुद्ध बताया। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अधिनियम के तहत किये गये खरीद संव्यवहार पर AVVNL द्वारा 2 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत से कर वसूल कर जमा कराये जाने को विधि के विरुद्ध बताया।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने सर्वप्रथम यह कथन किया कि उनके द्वारा की गई समस्त खरीद केन्द्रीय अधिनियम के तहत ही की गयी है क्योंकि यह माल राजस्थान से खरीद किया जाकर सीधे गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर ले जाया गया है। विक्रेता व्यवहारी AVVNL द्वारा जो बिल जारी किये गये हैं, उनमें भी स्पष्ट रूप से गन्तव्य स्थान, टिन नं०, आदि लिखते हुए बिल जारी किये गये हैं एवं AVVNL द्वारा अन्तर्राज्जीय परिवहन के लिये आवश्यक घोषणा प्रपत्र वैट-49 भी जारी किये गये हैं जिससे इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं रहता है कि यह माल अन्तर्राज्जीय संव्यवहार का होने से केन्द्रीय अधिनियम के तहत विहित कर दर से ही कर योग्य था परन्तु विक्रेता व्यवहारी AVVNL द्वारा गलत रूप से 4 प्रतिशत से कर वसूल किया गया है जबकि उनके द्वारा दिनांक 03.01.2011 को अन्तर्राज्जीय व्यवहार के लिये अनिवार्य घोषणा प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत कर दिये जाने से अधिनियम की धारा 8(1) के अनुसार दो प्रतिशत की कर दर से गणना कर उन्हें रिफण्ड दिया जाना चाहिये था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उनके आवेदन को निरस्त करने में भूल की है। इसी तरह अपीलीय अधिकारी के आदेश में AVVNL की नीलामी की शर्तों में उल्लेखित विशिष्ट शर्त संख्या 9 के आधार पर घोषणा प्रपत्र को स्वीकार नहीं किये जाने को अविधिक बताया। विद्वान अभिभाषक ने अन्ततः यह कथन किया है कि उनके समस्त संव्यवहारों को अन्तर्राज्जीय व्यवहार माना जावे एवं इन अन्तर्राज्जीय संव्यवहारों के लिये घोषणा प्रपत्र 'सी' स्वीकार कर अधिनियम की धारा 8(1) के अनुसार 4 प्रतिशत के स्थान पर दो प्रतिशत कर उद्ग्रहणीय माना जावे एवं AVVNL द्वारा दो प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत से वसूल किये गये कर का रिफण्ड दिया जावे।



लगातार.....4

6. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने समस्त संव्यवहारों को अन्तर्राज्जीय व्यवहार होने सम्बन्धी अपने कथनों के साथ माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय अंशु आयरन एण्ड इलेक्ट्रिकल्स बनाम महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की याचिका संख्या 83/2012 निर्णय दिनांक 22.03.2012 प्रस्तुत करते हुए समस्त संव्यवहारों को अन्तर्राज्जीय संव्यवहार माना जाना बाध्यकारी होना बताया।

7. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश एवं अपीलार्थी आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी विभाग से सीधे कोई रिफण्ड प्राप्त करने का अधिकार नहीं है क्योंकि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 सपठित वेट अधिनियम, 2003 की धारा 53 के तहत रिफण्ड दिये जाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किन्हीं व्यवसायियों के आपसी विवाद पर विभाग द्वारा कार्यवाही कर रिफण्ड आदेश किया जा सके। फलतः विभाग का इस पूरे प्रकरण में कोई सम्बन्ध नहीं होने से रिफण्ड नहीं दिये जाने के आदेश को विधिवत् बताया।

8. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं सम्पूर्ण रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

9. उक्त प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री ओ. पी. माहेश्वरी द्वारा दिनांक 03.01.2011, 07.01.2011, 07.03.2011 की विभिन्न तारीखों में कर निर्धारण अधिकारी से रिफण्ड दिये जाने सम्बन्धी पत्र प्रस्तुत किये हुए हैं, जिसमें वेट अधिनियम की धारा 53(3) एवं 53(5) का हवाला देते हुए रिफण्ड दिये जाने की प्रार्थना की गयी थी, उनमें उनके संव्यवहारों को अन्तर्राज्जीय संव्यवहार बताते हुए अपीलार्थी का पंजीकृत व्यवसायी होने के कारण उन पर अधिनियम की धारा 8(1) अनुसार ही कर दर आरोपणीय होने का कथन किया गया।

10. उक्त प्रकरण में सर्वप्रथम इस बिन्दु पर दिये गये समस्त तर्कों को स्वीकार करते हुए यह निर्णीत किया जाता है कि AVVNL द्वारा नीलामी की शर्तों के अनुसार जो भी विक्रय अपीलार्थी फर्म मैसर्स मंगलम् मेटल्स अहमदाबाद को किये गये हैं, वे पूर्णतया अन्तर्राज्जीय संव्यवहार के अधीन विक्रय की परिभाषा में सम्मिलित होते हैं, अतः यह समस्त विक्रय व्यवहार केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(ए) के अनुसार अन्तर्राज्जीय विक्रय होने से इसी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार कर दर प्रभावी होती है। कर दर के सम्बन्ध में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8 निम्न प्रकार है :-



लगातार.....5

8. Rates of tax on sales in the course of inter-State trade or commerce

- (1) Every dealer, who in the course of inter-State trade or commerce, sells to a registered dealer goods of the description referred to in sub-section (3); shall be liable to pay tax under this Act, which shall be three percent, of his turnover or at the rate applicable to the sale or purchase of such goods inside the appropriate State under the sales tax law of that State, whichever is lower:

PROVIDED that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, reduce the rate of tax under this sub-section.

- (2) The tax payable by any dealer on his turnover in so far as the turnover or any part thereof relates to the sale of goods in the course of inter-State trade or commerce not falling within sub-section (1), shall be at the rate applicable to the sale or purchase of such goods inside the appropriate State under the sales tax law of that State.

Explanation - For the purposes of this sub-section, a dealer shall be deemed to be a dealer liable to pay tax under the sales tax law of the appropriate State, notwithstanding that he, in fact, may not be so liable under that law.

- (3) The goods referred to in clause (b) of sub-section (1) -

(a)

(b) [***] are goods of the class or classes specified in the certificate of registration of the registered dealer purchasing the goods as being intended for re-sale by him or subject to any rules made by the Central Government in this behalf, for use by him in the manufacture or processing of goods for sale or in the telecommunications network or in mining or in the generation or distribution of electricity or any other form of power ;

(c) are containers or other materials specified in the certificate of registration of the registered dealer purchasing the goods, being containers or materials intended for being used for the packing of goods for sale ;

(d) are containers or other materials used for the packing of any goods or classes of goods specified in the certificate of registration referred to in clause (b) or for the packing of any containers or other materials specified in the certificate of registration referred to in clause (c).

- (4) The provisions of sub-section (1) shall not apply to any sale in the course of inter-State trade or commerce unless the dealer selling the goods furnishes to the prescribed authority in the prescribed manner a declaration duly filled and signed by the registered dealer to whom the goods are sold containing the prescribed particulars in a prescribed form obtained from the prescribed authority; or

PROVIDED that the declaration is furnished within the prescribed time or within such further time as that authority may, for sufficient cause, permit.



लगातार.....6

11. उक्त धारा में यह स्पष्ट है कि अन्तर्राज्जीय व्यवहार में यदि माल किसी पंजीकृत व्यवसायी को विक्रय किया जाता है तो उस विक्रय पर दो प्रतिशत से ही कर उद्ग्रहणीय होगा, परन्तु उक्त धारा की उपधारा (4) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि धारा 8(1) की कर दर तभी लागू होगी जब खरीदकर्ता व्यवसायी विधिक रूप से विहित घोषणा प्रपत्र 'सी' विक्रेता व्यवहारी को विहित समय में प्रस्तुत करे। घोषणा प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत करने की समयावधि के सम्बन्ध में केन्द्रीय बिक्री कर नियम, 1957 के नियम 12(7) में निम्न प्रावधान हैं :-

12(7)- The declaration in Form C or Form F or the certificate in Form E-I or Form E-II shall be furnished to the prescribed authority with in ~~three~~ months after the end of the period to which the declaration or the certificate relates :

Provided that if the prescribed authority is satisfied that the person concerned was prevented by sufficient cause from furnishing such declaration or certificate with in the aforesaid time, that authority may allow such declaration or certificate to be furnished within such further time as that authority may permit.

इसके साथ ही नियम 11(1) में Period को भी स्पष्ट किया गया है, उसमें प्रत्येक तिमाही को Period विहित किया गया है, जो निम्न प्रकार है :-

11. Determination of Turnover-

(1) The period of turnover in relation to any dealer liable to pay tax under this Act shall be the same as the period in respect of which he is liable to submit returns under the general sales tax law of the appropriate State:

Provided that in relation to a dealer who is not liable to submit returns under the general sales tax law of the appropriate State, the period of turnover shall be a quarter ending on 30th June, 30th September, 31st December and 31st March, as the case may be, in a financial year.

12. उक्तानुसार यदि कोई क्रेता व्यवहारी विहित समय में घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करता है उस स्थिति में अधिनियम की धारा 8(2) के अनुसार राज्य की कर दर प्रभावी होगी अर्थात् किसी भी अन्तर्राज्जीय संव्यवहार में घोषणा प्रपत्र 'सी' देने पर कर दर 2 प्रतिशत एवं घोषणा प्रपत्र विहित समय में नहीं देने पर 4 प्रतिशत से कर दर लागू होती है। इस तरह उक्त प्रावधानों में कर दर के बिन्दु पर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि किसी विक्रेता द्वारा माल के विक्रय के समय घोषणा प्रपत्र 'सी' प्राप्त किया जाना अनिवार्य है एवं उन घोषणा प्रपत्र को उस विक्रय दिनांक से सम्बन्धित तिमाही अर्थात् इस प्रकरण में दिनांक 01.6.2009 से 30.9.2009 एवं 01.10.2009



लगातार.....7

से 31.12.2009 की अवधि के घोषणा प्रपत्र उस तिमाही के समाप्त होने पर विक्रेता व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य थे परन्तु यह भी प्रावधान धारा 8(4) में किया हुआ है कि यदि किसी विक्रेता व्यवहारी को घोषणा प्रपत्र समयावधि में प्राप्त नहीं होते हैं एवं विलम्ब से प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी से समयावधि को बढ़ाये जाने का अनुरोध कर सकता है परन्तु यह प्रार्थना विक्रेता तभी कर सकता है जब उसके पास ऐसा कोई युक्तियुक्त कारण हो जो घोषणा प्रपत्र विहित अवधि के बाद विलम्ब से पेश करने को माफ करने के लिये पर्याप्त हो। उक्त प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विक्रेता राजकीय फर्म AVVNL से पत्राचार किये जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा की गई समस्त बिक्री अन्तर्राज्जीय व्यवहार में ही की गई है एवं उनके द्वारा 4 प्रतिशत का कर इसलिए वसूल किया गया है क्योंकि विक्रय के समय नीलामी की शर्तों के अनुसार घोषणा प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था जबकि उक्त क्रेता व्यवहारी द्वारा घोषणा प्रपत्र नहीं दिये जाने के कारण उनके द्वारा अधिनियम की धारा 8(2) के अनुसार 4 प्रतिशत से केन्द्रीय बिक्री कर वसूल किया गया है। अपने पत्राचार में यह भी बताया गया कि AVVNL द्वारा इस अपीलार्थी से वसूल किये गये समस्त कर केन्द्रीय अधिनियम के तहत ही राजकोष में जमा करवाये गये हैं। उक्त तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार यह स्पष्ट है कि AVVNL द्वारा समस्त विक्रयों को केन्द्रीय अधिनियम में ही विक्रय किया जाना दर्शाया हुआ है, अतः इस बिन्दु पर किसी तर्क-वितर्क की आवश्यकता नहीं रहती है। विक्रेता व्यवहारी का यह विधिक दायित्व है कि विक्रय के समय घोषणा प्रपत्र 'सी' प्राप्त नहीं होने पर 4 प्रतिशत से कर वसूल करे, परन्तु यदि घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करता है तो अधिनियम की धारा 8(1) के अनुसार 2 प्रतिशत से ही कर वसूल कर सकता है।

13. इस प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि AVVNL द्वारा अपने स्क्रैप की नीलामी के जरिये विक्रय हेतु जो शर्तें रखी गयी थी, उसमें कोई भी बोलीदाता उन शर्तों के मुताबिक बोली लगाते हुए माल की खरीद कर सकता था। इन शर्तों में कर वसूली सम्बन्धी बिन्दु को भी स्पष्ट किया गया था, जिसकी शर्त संख्या 9 में यह अंकित किया हुआ है कि - "यदि कोई व्यापारी माल टैक्स की रियायत कर (कन्शेशनल रेट) पर खरीदना चाहता है तो बकाया राशि जमा कराने के कम से कम तीन कार्य दिवस पहले पूर्ण दस्तावेजों की प्रमाणित फोटो प्रति सहित उपभण्डार नियंत्रक अजमेर को आवेदन करना होगा। उपभण्डार नियंत्रक द्वारा पूर्ण दस्तावेजों की मूल प्रतियों का परीक्षण कर स्वीकृति दी जायेगी। इस आधार पर भुगतान व डिलीवरी पीरियड में बढोतरी नहीं की जायेगी।"



लगातार.....8

14. इस तरह स्पष्ट है कि विक्रेता व्यवहारी द्वारा नीलामी में उपस्थित होने वाले सभी खरीदारों के लिये स्पष्ट निर्देश थे कि यदि वे किसी घोषणा प्रपत्र के आधार पर रियायती कर दर से माल खरीदना चाहता है तो वह इस सम्बन्ध में भुगतान के पूर्व ही अपने मूल घोषणा प्रपत्र उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जबकि यह स्पष्ट है कि उक्त क्रेता ने अपने किसी पत्र में यह नहीं बताया कि उनके द्वारा 'सी' फॉर्म पेश करने की पेशकश AVVNL को की गयी थी या AVVNL द्वारा विक्रय के समय 'सी' फॉर्म प्राप्त करने से मना किया गया था। प्रकरण में यह भी प्रमाणित है कि प्रथम बार इस अपीलार्थी द्वारा घोषणा प्रपत्र 'सी' वर्ष 2009-10 की द्वितीय एवं तृतीय तिमाही समाप्त होने के एक वर्ष बाद AVVNL को दिये जाने का प्रस्ताव किया गया जिसे AVVNL द्वारा माना जाना सम्भव नहीं था क्योंकि उक्त वर्णित नियम 12(7) के अनुसार बिना किसी कारण के विलम्ब से प्राप्त हुए घोषणा प्रपत्रों को AVVNL कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत ही नहीं कर सकता था, इसीलिए इस प्रकरण में माल की नीलामी से विक्रय के समय ही यह स्पष्ट शर्त थी कि यदि घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करना चाहें अर्थात् घोषणा प्रपत्र के जरिये अन्तर्राज्जीय व्यवहार में 4 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत से कर की रियायती कर दर का लाभ लेना चाहें तो घोषणा प्रपत्र भुगतान के पूर्व दिया जाना आवश्यक था। विक्रेता द्वारा घोषणा प्रपत्र विक्रय व्यवहार के समय प्राप्त करने का पूरा दायित्व है एवं घोषणा पत्र प्राप्त नहीं होने पर उस पर धारा 8(2) से ही करारोपण किया जावेगा। इस तरह क्रेता ने अनिवार्य समयावधि में घोषणा पत्र विक्रेता को नहीं दिये गये एवं अब अपीलार्थी द्वारा ये घोषणा प्रपत्र विक्रय के पश्चात् एक वर्ष से भी अधिक अवधि गुजरने के पश्चात् दिनांक 03.01.2011 को प्रस्तुत किये गये जो उक्त नियम 12(7) में दी गयी अवधि के बाद है जिसे AVVNL ने प्राप्त करने से उचित रूप से इंकार किया है। इस प्रकरण में विक्रेता फर्म द्वारा विक्रय के समय दो प्रतिशत की कर दर वसूल किये जाने का कोई आधार नहीं था, क्योंकि अधिनियम की धारा 8(4) के अनुसार घोषणा प्रपत्रों के समर्थन के बिना केन्द्रीय अधिनियम की धारा की 8(1) की रियायती कर दर लागू नहीं की जा सकती थी, फलतः उक्त अन्तर्राज्जीय व्यवहार पर विक्रय के समय बिना घोषणा प्रपत्रों के यहां तक कि त्रैमास के समाप्त होने तक भी घोषणा प्रपत्र नहीं देने से विक्रेता व्यवहारी द्वारा 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है एवं क्रेता विक्रय के एक साल बाद में बिना किसी विधिक प्रावधान के AVVNL को घोषणा प्रपत्र देकर उन्हें कर राशि रिफण्ड किये जाने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में क्रय-विक्रय के दौरान उद्ग्रहित किये गये कर के सम्बन्ध में विवाद विक्रेता एवं क्रेता के बीच का था



एवं विक्रेता द्वारा विधि अनुसार संग्रहित कर राशि को राजकोष में जमा कराई गई है। क्रेता का यह अधिकार किसी प्रावधान में नहीं है कि वे जब चाहे 'सी' फॉर्म अपने विक्रेता को दे सकते हैं एवं न ही बिना किसी कारण के विलम्ब से प्रस्तुत 'सी' फॉर्म विक्रेता द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं, अतः AVVNL द्वारा 'सी' फॉर्म प्राप्त करने से इन्कार करने में कोई अविधिकता नहीं की है।

15. यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि 'सी' फॉर्म केवल विक्रेता को ही दिये जा सकते थे एवं विक्रेता ही अपने कर निर्धारण अधिकारी को रियायती कर दर हेतु क्लेम कर सकता था। विक्रेता के कर निर्धारण अधिकारी को यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह स्वयं ही विक्रेता के टर्नओवर एवं कर दर को परिवर्तित कर सके, फलतः विक्रेता के कर निर्धारण अधिकारी को क्रेता द्वारा सीधे ही घोषणा प्रपत्र पेश करने की अनुमति ही नहीं है।

16. इस प्रकरण में क्रेता व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि की ओर से रिफण्ड हेतु जो प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है वह किसी भी प्रावधान से कवर नहीं होता है क्योंकि उनके द्वारा वेट अधिनियम की धारा 53(3) एवं (5) का जो उल्लेख किया है वह उन पर किसी स्थिति में लागू नहीं होता है क्योंकि अधिनियम की धारा 53(3) में यह प्रावधान है कि किसी अपंजीकृत व्यवहारी द्वारा ऐसी कर राशि जमा करवा दी जाती है जो उनके द्वारा पेयबल नहीं हो तो उन्हें रिफण्ड योग्य होगी जबकि इस प्रकरण में विक्रेता द्वारा जो कर राशि इस क्रेता से वसूल की गयी है वह विधिक प्रावधानों के अनुसार पेयबल राशि थी क्योंकि बिना 'सी' फॉर्म के संव्यवहार में अधिनियम की धारा 8(2) के अनुसार 4 प्रतिशत से ही करदेयता थी। इस प्रकार विधिक रूप से पेयबल राशि का रिफण्ड दिये जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने धारा 53(5) का जो हवाला दिया है, वह उस विक्रेता को रिफण्ड नहीं देने का प्रावधान करता है जिस कर राशि का वहन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है। यह प्रावधान है कि यदि कोई रिफण्ड योग्य राशि प्राप्त होती है तो वह रिफण्ड उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिन्होंने वास्तविक रूप से उस अदेय कर का संदाय कर दिया है। इस प्रकरण में इस अपीलार्थी द्वारा कर का संदाय विधि के प्रावधान अनुसार अनिवार्य रूप से किये जाने के दायित्व के तहत विक्रेता संदाय किया है। ऐसी स्थिति में न तो क्रेता को एवं न विक्रेता को कर वापस लौटाया जा सकता है।


17. इस प्रकरण में समस्त दस्तावेजों के अध्ययन पर यह भी स्पष्ट है कि विक्रेता (AVVNL) का माल के विक्रय के समय कर उद्ग्रहण करने का जो विधिक दायित्व था वह दायित्व विक्रेता व्यवहारी द्वारा निर्वहन किया गया है एवं



उस विधिक दायित्व के अधीन ही एवं विधिक प्रावधान अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी से कर उद्ग्रहित किया गया है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि यदि विक्रेता द्वारा किसी प्रकरण में गलत कर दर से अधिक कर उद्ग्रहित कर दिया जाता है तो उस रिफण्ड के लिये वह विक्रेता व्यवहारी द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश किया जा सकता है जबकि इस विक्रेता व्यवहारी द्वारा न तो गलत कर उद्ग्रहित किया गया है, न ही गलत कर जमा करवाया गया है। ऐसी स्थिति में देय कर का रिफण्ड दिये जाने का कोई कारण नहीं होने से अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकार किये जाने में कर निर्धारण अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है।

18. उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है।

19. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य